

## भारत सरकार Government of India रेल मंत्रालय Ministry of Railways रेलवे बोर्ड (Railway Board)



RBA No.23/2025 GST CIRCULAR NO. 05/2025

No.2017/AC-II/1/6/GSTMAIN/Vol-IV/3413181

New Delhi, Dated 09.07.2025

**General Managers** All Zonal Railways / Production Units

> Sub: Accounting procedure for GSTD TDS to be deducted by metal scrap purchasers on metal scrap sold by Indian Railways.

Ref: (i) Board's letter No. 2017/AC-II/1/6/GST MAIN-VOL-IV dated 11.12.2024( RBA No. 35/2024)

- (ii) Board's letter No. 2017/AC-II/1/6/GST MAIN-VOL-IV dated 03.01.2025 (RBA No. 01/2025)
- (iii) Board's letter No. 2017/AC-II/1/6/GSTMAIN/VOL.IV dated 08.05.2025 (RBA No. 16/2025)
- (iv) Board's letter No. 2018/RS(S)/709/14 Pt.1 dated 23.06.2025.
- 1. Railway Board vide letter under ref (i) has circulated copy of MoF, Department of Revenue Notification No. 25/2024 dated 9<sup>th</sup> October 2024 and its implication for Indian Railways and advised necessary action by all concerned. Further, vide letter under ref (ii) ,clarifications for ensuring GST compliance and vide ref (iii), amendment to RBA No.01/2025 were issued respectively.
- 2. Based on the instructions issued vide letter under ref( iv), the following process flow is proposed for capturing and settling TDS transactions in books of Railways for the transactions captured after TDS system changes are made in IREPS:
  - a. The bill/invoice shall be raised at total invoice value (Sale value + applicable GST)
  - b. The party will deduct GST TDS from the invoice amount while making payment to Railway.
  - c. On receiving payment (Invoice Amount minus GST TDS), an additional entry is to be triggered automatically, an amount equivalent to GST TDS is to be credited in concerned Deposit GST allocation with a contra debit to Misc Advance GST TDS (Metal Scrap) (New allocation codes to be generated in IPAS).
  - d. The details of above transaction will be maintained in IPAS for record and clearance.

- e. A manuscript/computerized register shall be maintained in IPAS to monitor receipt of TDS amount in respect of each such transaction.
- The credit for GST TDS deducted by TDS deductor shall be made available in electronic cash ledger in GSTIN portal of the Nodal Railway for the deductions marked as "accepted" in the GSTR-2X.
- g. IREPS will relay the complete details of invoices whose SD lien has been released after acceptance
- h. Based on above information, auto TCs and auto JVs will be triggered in IPAS for clearing the Misc Advance outstanding against these invoices through transfer of credit from Deposit GST head of the Nodal Railway to the concerned accounting unit.
- The auto-TCs should have the complete details in the attachment for verification by the concerned units before submission and acceptance of TCs.
- j. Invoice-wise, Party-wise and Unit wise details of GST TDS available in electronic cash ledger, shall be made available ,Nodal Railway wise and Accounting unit wise in form of MIS in GSTM portal. .
- k. Any outstanding under Misc. Advance GST TDS (Metal Scrap) will be reflective of the purchaser's who have not remitted the TDS so deducted to the tax authorities and should have an equivalent SD lien withheld in IREPS portal.
- I. The position should be monitored at regular intervals and be taken up by Accounts and Stores officers for ensuring compliance by purchaser's.
- m. In the event of forfeiture of SD lien in IREPS, the amount will have to be credited in Misc Advance GST TDS (Scrap) and the suspense outstanding against the party will be cleared.
- 3. The accounting procedures for implementing GST TDS mechanism in IREPS will be as under :

For example:-

- 1. Value of Metal Scrap Sold is Rs. 100/-
- 2. GST on Rs. 100/- is Rs. 18/-
- 3. TDS deducted by Scrap Dealer is Rs. 2/-

(Note: Example is used only as an illustration for the purpose of explaining GST accountal. Accountal of EMD, BSV (excluding GST), TCS or any other charges shall be done as per existing procedures).

A. In IREPS, GST invoice is issued at the time of receipt of BSV (Balance Sale Value). When party deducts GST TDS and pays the remaining amount, the GST portion will be accounted as under:

Remittance into Banks Deposit GST (IGST/CGST/SGST/UGST)

Dr (GST minus TDS) (Rs. 16) Cr (GST minus TDS) (Rs. 16)

Now, following will also be operated automatically in the system-

Deposit GST (IGST/CGST/SGST/UGST) Cr (TDS amount deducted by party) (Rs. 2)

Misc Advance GST TDS (Metal Scrap) (IGST/CGST/SGST/UGST)

Dr (TDS amount deducted by party) (Rs. 2)

B. When SD lien is released on receipt of TDS in electronic cash ledger, IREPS will share the complete details with IPAS for populating auto-TCs (party-wise and invoice-wise information to be attached) for transfer of credit to concerned Railway/unit by the Nodal Railway-

Deposit GST (IGST/CGST/SGST/UGST)

Dr. Rs. 2/-

Transfer Division or Transfer Other Railway

Cr. Rs. 2/-

[Note: Nodal Railways will discharge the net cash outward liability for their GSTINs by firstly consuming the credit available in the electronic cash ledger. In the event credit gets accumulated in the electronic cash ledger due to less net outward liability, the Nodal Railways in consultation with their GST Consultants can process for cash refund which will be credited back to Deposit GST Head.)

C. Credit receiving unit will be populated with an auto-JV for operating following:

Transfer Division or Transfer Other Railway

Dr Rs. 2/-

Misc Advance GST TDS (Metal Scrap)

(-) Dr. Rs. 2/-

D. In the event of forfeiture of SD lien in IREPS, the concerned accounting unit will operate-

RIB

Dr. Rs. 2/-

Misc Advance GST TDS(Metal Scrap)

(-) Dr. Rs. 2/-

4. The TDS amount accepted for the period prior to implementation of TDS related system changes in IREPS, will be dealt as per the guidelines issued in RB letter under ref (iv).

This is issued with the approval of competent authority.

Digitally signed by Megha Agrawal Date: 14-07-2025 17:19:36 **Director Accounts** Railway Board

## Copy to:

- PFAs of all Zonal Railways/Production Units for information and necessary action.
- MD/CRIS, DF/CRIS, GM/EPS, GM/AIMS, GM/GSTM CRIS for information and necessary action 2.
- EDRS(RS)/RB for information.



## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)



आरबीए सं. 23/2025 जीएसटी परिपन्न सं. 05/2025 नई दिल्ली, दिनांक

सं. 2017/एसी- 1/1/6/जीएसटी मेन/वॉल- 1 1/3413181 09.07.2025

महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें / उत्पादन इकाइयां

विषय : भारतीय रेल द्वारा बेचे गए मैटल स्क्रैप पर मैटल स्क्रैप खरीददारों द्वारा कार्ट जाने वाले जीएसटी टीडीएस के लिए लेखांकन प्रक्रिया।

संदर्भ : (İ) बोर्ड का दिनांक 11.12.2024 का पत्र सं. 2017/एसी-||/1/6/जीएसटी मेन-वॉल-|V (आरबीए सं. 35/2024)

- (ii) बोर्ड का दिनांक 03.01.2025 का पत्र सं. 2017/एसी-||/1/6/जीएसटी मेन-वॉल-|V (आरबीए सं. 01/2025)
- (iii) बोर्ड का दिनांक 08.05.2025 का पत्र सं. 2017/एसी-||/1/6/जीएसटी मेन/वॉल-|V(आरबीए सं. 16/2025)
- (i V) बोर्ड का दिनांक 23.06.2025 का पत्र सं. 2018/आरएस(एस)/709/14 पार्ट1

\*\*\*\*

- 1. रेलवे बोर्ड ने संदर्भाधीन पत्र (i) के तहत राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय की दिनांक 9 अक्टूबर, 2024 की अधिसूचना सं. 25/2024 की प्रति और भारतीय रेलों के लिए इसका निहितार्थ परिपत्रित किया है तथा सर्वसंबंधितों को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सूचित किया है। इसके अलावा, संदर्भाधीन पत्र (ii) के तहत जीएसटी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्टीकरण और संदर्भाधीन पत्र (iii) के तहत आरबीए सं. 01/2025 में किए गए संशोधन जारी किए गए थे।
- 2. संदर्भाधीन पत्र (i V) के तहत जारी अनुदेशों के आधार पर, आईआरईपीएस में किए गए टीडीएस प्रणाली परिवर्तनों के उपरांत अभिगृहीत लेन-देन के लिए रेलों की बहियों में टीडीएस

लेन-देन के अभिग्रहण और निपटान करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया प्रवाह का प्रस्ताव किया जाता है :

- क. कुल बीजक मूल्य पर बिल/बीजक तैयार किया जाएगा। (विक्रय मूल्य + लागू जीएसटी)
- ख. रेलवे को भुगतान करते समय पक्षकार बीजक राशि से जीएसटी टीडीएस काट लेगा।
- ग. भुगतान प्राप्त करने पर (बीजक राशि घटा जीएसटी टीडीएस), एक अतिरिक्त प्रविष्टि स्वाचालित रूप से आरंभ की जानी है, जीएसटी टीडीएस के समतुल्य राशि विविध अग्रिम जीएसटी टीडीएस (मैटल स्क्रैप) के प्रतिपक्षी नामे सिहत संबंधित नामे जीएसटी आबंटन में जमा की जानी है। (आईपीएएस में सुजित होने वाले नए आबंटन कोडा)
- घ. उपर्युक्त लेन-देन का विवरण, दर्ज करने और निकासी के लिए आईपीएएस में रखा जाएगा।
- छ. ऐसे प्रत्येक लेन-देन से संबंधित टीडीएस राशि की रसीदों की निगरानी के लिए आईपीएएस में एक हस्तिलिखित/कंप्यूटरीकृत रिजस्टर रखा जाएगा।
- च. टीडीएस कटौतीकर्ता द्वारा काटे गए जीएसटी टीडीएस के लिए क्रेडिट को जीएसटीआर-2एक्स में "स्वीकृत" के रूप में चिह्नित कटौती के लिए नोडल रेलवे के जीएसटीआईएन पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाता-बही में उपलब्ध कराया जाएगा।
- छ. आईआरईपीएस उन बीजकों का पूर्ण विवरण प्रसारित करेगा जिनका एसडी ग्रहणाधिकार आईपीएएस पर जीएसटी टीडीएस को स्वीकृत करने के उपरांत जारी किया गया है।
- ज. उपर्युक्त सूचना के आधार पर, नोडल रेलवे के जमा जीएसटी शीर्ष से संबंधित लेखाकरण इकाई को क्रेडिट के हस्तांतरण के माध्यम से इन बीजकों के लिए विविध अग्रिम बकाया के समाशोधन हेतु आईपीएएस में ऑटो-टीसी और ऑटो-जेवी आरंभ किया जाएगा।
- झ. ऑटो-टीसी के पास टीसी प्रस्तुत करने और स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित इकाइयों द्वारा सत्यापन किए जाने हेतु संलग्नक में संपूर्ण विवरण होना चाहिए।
- ञ. इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाता-बही में उपलब्ध जीएसटी टीडीएस का बीजक-वार, पक्षकार-वार और इकाई-वार विवरण जीएसटीएम पोर्टल में एमआईएस के रूप में नोडल रेलवे वार और लेखाकरण इकाई वार उपलब्ध कराया जाएगा।
- ट. विविध अग्रिम जीएसटी टीडीएस (मैटल स्क्रैप) के अंतर्गत कोई बकाया राशि उस खरीददार को दर्शाएगा, जिसने कर प्राधिकारियों द्वारा इस प्रकार काटे गए टीडीएस को प्रेषित नहीं किया है और जिनके पास आईआरइपीएस पोर्टल में समतुल्य एसडी ग्रहणाधिकार होना चाहिए।
- ठ. नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी की जानी चाहिए और खरीददारों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लेखा और भंडार अधिकारियों द्वारा इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए।
- ड. आईईआरपीएस में एसडी ग्रहणाधिकार के जब्त होने पर, विविध अग्रिम जीएसटी टीडीएस (मैटल स्क्रैप) में राशि जमा की जाएगी और पक्षकार के उचंत बकाया को वसूल किया जाएगा।

3. आईआरईपीएस में जीएसटी टीडीएस तंत्र को क्रियान्वित करने के लिए लेखांकन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

उदाहरण के लिए -

- 1. बेचे गए मैटल स्क्रैप का मूल्य 100/- रू. है।
- 2. 100/- रू. पर जीएसटी 18/- रू. होता है।
- 3. स्क्रैप डीलर द्वारा काटा गया टीडीएस 2/- रू. है।

(टिप्पणीः उदाहरण का उपयोग केवल जीएसटी लेखांकन की व्याख्या के प्रयोजन से किया गया है। ईएमडी, बीएसवी (जीएसटी को छोड़कर), टीसीएस या अन्य प्रभारों का लेखांकन मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा।)

क. आईआरईपीएस में, जीएसटी बीजक बीएसवी (बकाया विक्रय मूल्य) प्राप्त करने के समय जारी किया जाता है। जब पक्षकार जीएसटी टीडीएस काटता है और शेष राशि का भुगतान करता है, तो जीएसटी अंश का लेखांकन निम्नानुसार किया जाएगा:

वैंक में धन प्रेषण

डीआर (जीएसटी घटा टीडीएस)(16रू.)

जमा

जीएसटी सीआर (जीएसटी घटा टीडीएस)(16रू.)

(आईजीएसटी/सीजीएसटी/एसजीएसटी/ यूजीएसटी)

अब, निम्नलिखित, प्रणाली में स्वतः संचालित भी होगा -

जमा जीएसटी
(आईजीएसटी/सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूजीएसटी) विविध
अग्रिम जीएसटी टीडीएस (मैटल स्क्रैप)
(आईजीएसटी/सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूजीएसटी)

सीआर (पक्षकार द्वारा टीडीएस राशि की कटौती)(2रू.)

डीआर (पक्षकार द्वारा टीडीएस राशि की कटौती)(2रू.)

ख. जब इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाता-बही में टीडीएस के प्राप्त होने पर एसडी ग्रहणाधिकार को जारी किया जाता है, तो नोडल रेलवे द्वारा संबंधित रेलवे/इकाई को क्रेडिट हस्तांतरण के लिए ऑटो-टीसी (पक्षकार-वार और बीजक-वार सूचना संलग्न की जानी है) को बढ़ाने हेतु आईआरईपीएस, आईपीएएस के साथ संपूर्ण विवरण साझा करेगा-

जमा जीएसटी (आईजीएसटी/सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूजीएसटी)

डीआर 2/-रू.

हस्तांतरण मंडल या हस्तांतरण संबंधी अन्य रेलवे

सीआर 2/-रू.

(टिप्पणी:- नोडल रेलवे अपने जीएसटीआईएन के लिए शुद्ध नकद बाहरी देयता का निर्वहन पहले इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाता-बही में उपलब्ध क्रेडिट का उपभोग करके करेगा। यदि कम शुद्ध बाहरी देयता के कारण इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाता-बही में क्रेडिट जमा हो जाता है तो ऐसे मामले में, नोडल रेलवे अपने जीएसटी परामर्शदाता के परामर्श में नकदी वापसी के लिए कार्रवाई कर सकता है, जो जमा जीएसटी शीर्ष में वापस जमा हो जाएगा।)

ग. निम्निलिखित का संचालन करने के लिए क्रेडिट प्राप्तकर्ता इकाई को ऑटो-जेवी के साथ रखा जाएगा-

हस्तांतरण मंडल या हस्तांतरण संबंधी अन्य रेलवे विविध अग्रिम जीएसटी टीडींएस (मेटल स्क्रैप)

नामे 2/-रू.

(-) नामे 2/-रू.

घ. आईआरईपीएस में एसडी ग्रहणाधिकार की जब्ती की दशा में, संबंधित लेखांकन इकाई संचालन करेगी-

आरआईबी

नामे 2/- रू:

विविध अग्रिम जीएसटी टीडीएस (मैटल स्क्रैप)

(-) नामे 2/-रू.

4. आईआरईपीएस में प्रणाली परिवर्तनों से संबंधित टीडीएस के क्रियान्वयन से पूर्व अविध के लिए स्वीकृत टीडीएस राशि का निपटान रेलवे बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र (i V) के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(मेघा अग्रवाल) निदेशक/लेखा रेलवे बोर्ड

## प्रतिलिपि प्रेषित :

- 1. आवश्यक सूचना एवं कार्रवाई हेतु सभी क्षेत्रीय रेलों/ उत्पादन इकाईयों के प्रधान वित्त सलाहकार।
- आवश्यक सूचना एवं कार्रवाई हेतु प्रबंध निदेशक/क्रिस, निदेशक वित्त/क्रिस, महाप्रबंधक/ईपीएस, महाप्रबंधक/एआईएमएस, महाप्रबंधक/जीएसटीएम क्रिस।
- 3. कार्यपालक निदेशक रेल भंडार(आरएस)/रेलवे बोर्ड को सूचनार्थ।